

अचल सम्पत्ति प्रतिवेदन वर्ष 2025
अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम डी.एस. सिघानिया पद निरीक्षक
वर्तमान वेतन रुपये 740000=- वेतन वृद्धि की अगली तिथि 5-7-2025

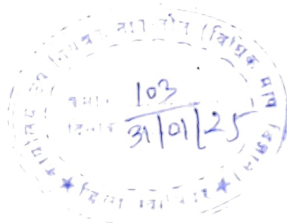
स. क.	उस जिले उपसभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अति किया खरीदा पट्टा बन्धक विरासत में या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तिथि और जिससे अर्जित की गई है उसका नाम तथा ब्योरे।	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अन्यक्ति
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1)	जयपुर-पोखरा तहसील-कलारस जिला-गुरेला	—	कालिभूमि वीसवीणा (लगभग)	40000000= (लगभग)	पैतक सम्पत्ति (स्वयं)	पैतक	1200000=	—
(11)	गुरेला नगर धात्रीपुर 5910	भवन	—	40000000= (लगभग)	पत्नी के नाम	स्वयं की वसूल तथा बैंक लेन दायरा	350000=	—

क्रमांक 35 /नाली/स्था./2016

गवालियर दिनांक 29-1-2025

- जो लागू न हो काट दीजिये।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना सम्भव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।
- इसमें अल्प कालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी :- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महिने की अवधि के परचात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसके विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बन्धक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे देवे।



कर्मचारी का नाम एवं हस्ताक्षर

डी.एस. सिघानिया
निरीक्षक
जयपुर तालुका